राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –21/2024 निगरानी

1. दुर्गेश गुर्जर पिता रामसहाय गुर्जर निवासी भवानीपुरा सरेरी स्टेशन, तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा
2. देबी लाल पिता रामसहाय गुर्जर निवासी भवानीपुरा, सरेरी स्टेशन, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम विकास अधिकारी जरिए सचिव, ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
3. चौथमल पुत्र भंवर लाल गुर्जर निवासी सरेरी स्टेशन भवानीपुरा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा जारी पट्टा जरिए मिसल संख्या 09 दिनांक 31.03.1983

उपस्थित –

1. श्री धर्मेन्द्र आमेटा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.12.2025

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार की विपक्षी संख्या 3 के पिता भंवर लाल पिता काना ने विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ आपसी मिलीभगत करते हुये तत्कालीन सरपंच श्री अमरसिंह व तत्कालीन सचिव द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आबादी भूमि का उक्त विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 31/03/1983 को पट्टा करवाया। उक्त पट्टे के साथ उक्त अवधि में तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा कई अवैध फर्जी पट्टे जारी किये थे, उक्त पट्टे में वर्णित जायदाद का नाप 45X65 फिट दर्शा रखी है। उक्त अवैध पट्टे में दर्शाई गई जायदाद में प्रार्थीगण की जायदाद में स्थित रास्ते में आने जाने वाले रास्ते को जो पूर्व दिशा में स्थित में उक्त रास्ते को एवं प्रार्थीगण / निगराकार की शेष खुली जगह 12X62 फिट एवं उक्त रास्ते के दक्षिण में स्थित श्री औंकार जी की जायदाद स्थित है को भी उक्त पट्टे में वर्णित नाप 45X65 फिट के अन्दर मिलाते हुये दिनांक 31/03/1983 को अवैध पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त अवैध पट्टे के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पास कोई भी किसी भी तरह को कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टा प्रथम

15.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षीगण द्वारा जारी अवैध पट्टा (आबादी भूमि का विक्रय विलेख) दिनांक 31.03.1983 मिसल संख्या 9 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। निगराकार अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त अवैध पट्टे में दर्शाई गई जायदाद में प्रार्थीगण की जायदाद में स्थित रास्ते में आने जाने वाले रास्ते को जो पूर्व दिशा में स्थित में हैंख उक्त रास्ते को एवं प्रार्थीगण / निगराकार की शेष खुली जगह 12X62 फिट एवं उक्त रास्ते के दक्षिण में स्थित श्री औंकार जी की जायदाद स्थित है को भी उक्त पट्टे में वर्णित नाप 45X65 फिट के अन्दर मिलाते हुये दिनांक 31/03/1983 को अवैध पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त अवैध पट्टे के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पास कोई भी किसी भी तरह को कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षीगण द्वारा जारी अवैध पट्टा (आबादी भूमि का विक्रय विलेख) दिनांक 31.03.1983 मिसल संख्या 9 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

गैर निगराकार संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगरानी में वर्णित पडौसों के मध्य निगराकारान की रिहायशी जायदाद व बाड़ा नहीं है व न ही निगराकारान का परिवार यहां निवास कर रहा है। मौके पर कब्जा व भुगतभोग निगराकारान का नहीं होकर विपक्षी संख्या 03 का है। विपक्षी संख्या 03 भंवर लाल पिता काना का पुत्र होने से विपक्षी संख्या 03 को विरासत से उक्त जायदाद मिली है व भंवरलाल पिता काना के समय से ही इस भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 03 बतौर मालिक होकर उपयोग कर रहा है। विपक्षी संख्या 03 के पिता के पक्ष में दिनांक 31.03.1983 को पट्टा सही व विधि अनुसार एवं पंचायतीराज अधिनियम में वर्णित सभी नियमों व शर्तों की पालना कर जारी किया गया है, जो कतई गलत नहीं है। पट्टा नवीनीकृत किया गया जिस हेतु नियमानुसार पत्रावली कायम कर पट्टा नवीनीकृत किया गया है व पूर्व में जारी पट्टा दिनांक 31.03.1983 सही व वैध है जिसे निरस्त कराने का हक व अधिकार निगराकारान को नहीं है। पंचायतीराज अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की गयी है। अतः निवेदन है निगराकारान की निगरानी आधारहीन तथ्यों पर

15.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आधारित होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1983 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 41 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया कि उक्त पटटे की मिसल पत्रावली ग्राम पंचायत में नही हैं। ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा अत्यधिक मियाद बाधित पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा